महानिदेशक, स्कूल शिक्षा
एवं
राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय

समग्र शिक्षा
Samagra Shiksha

समग्र शिक्षा, विद्या भवन, निशातगंज, लखनऊ -226007

निपुण भारत

वेब-साइट: www.basiceducation.up.gov.in, ई-मेल: upefaspo@gmail.com दूरभाष: 0522-4024440, 2780384, 2781128

सेवा में,

जिलाधिकारी,
समस्त जनपद।

पत्रांकः आर0टी0ई0 / न0प्र0–02 / 5623 / 2024–25 दिनांकः 18 सितम्बर, 2024

विषयः– निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1)(ग) के अन्तर्गत अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों को कक्षा 1 / पूर्व प्राथमिक कक्षा में ऑनलाइन प्रवेश हेतु शैक्षिक सत्र 2025–26 के लिए समय–सारिणी के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आप अवगत है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(ग) के अन्तर्गत गैर सहायतित मान्यता प्राप्त विद्यालयों में अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों को कक्षा–01 / पूर्व प्राथमिक कक्षा में 25 प्रतिशत प्रवेश दिया जाना बाध्यकारी है। तद्विषयक शासनादेश संख्या 582 / 79–5–2016–29 / 2009 टी0सी0–11 दिनांक 03 मार्च 2016, शासनादेश संख्या 78 / 79–6–2017, दिनांक 20 जनवरी 2017 एवं राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांकः 3J / समु0सह0 / आर0टी0ई0 / 4960 / 2016–17, दिनांकः 06 फरवरी, 2017 द्वारा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(ग) के अन्तर्गत अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों को कक्षा–01 / पूर्व प्राथमिक कक्षा में प्रवेश दिये जाने के सम्बन्ध में ऑनलाइन आवेदन एवं लॉटरी की प्रक्रिया प्रारम्भ करने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश प्रदान किये गये हैं।

उल्लेखनीय है कि राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांकः आर0टी0ई0 / न0प्र0–02 / 11563 / 2024–25 दिनांक 18 दिसम्बर, 2023 द्वारा शैक्षिक सत्र 2024–25 हेतु समय सारिणी निर्धारित करते हुए निर्देश प्रेषित किये गये हैं किन्तु यह संज्ञान में आया है कि कतिपय जनपदों में प्रक्रिया पूर्ण होने में विलम्ब हुआ और प्रवेश की कार्यवाही जुलाई – अगस्त तक जारी रही, जो शैक्षिक दृष्टि से उपयुक्त नहीं है। अतः प्रवेश प्रक्रिया को समयबद्ध रूप से पूर्ण कराने हेतु शैक्षिक सत्र 2025–26 में प्रवेश हेतु निम्नवत् समय–सारिणी निर्धारित की जाती हैः–

चरण	आवेदन करने की तिथियाँ	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन पत्रों का सत्यापन एवं लॉक करने की अन्तिम तिथि	लाटरी निकालने की तिथि	बच्चों के प्रवेश हेतु गैर सहायतित मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों के आवंटन की सूची जारी करने का दिनांक
प्रथम	01 Dec 24 - 19 Dec 24	20 Dec 24 - 23 Dec 24	24 Dec 24	27 Dec 24
द्वितीय	01 Jan 25 - 19 Jan 25	20 Jan 25 - 23 Jan 25	24 Jan 25	27 Jan 25
तृतीय	01 Feb 25 - 19 Feb 25	20 Feb 25 - 23 Feb 25	24 Feb 25	27 Feb 25
चतुर्थ	01 March 25 - 19 March 25	20 March 25 - 23 March 25	24 March 25	27 March 25

उपर्युक्त समय सारिणी के अनुसार बच्चों के प्रवेश हेतु गैर सहायतित मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों के आवंटन की सूची जारी करने के सापेक्ष दिनांक 31.03.2025 तक आवंटित समस्त बच्चों की प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण कराते हुए दिनांक 01.04.2025 से संचालित शैक्षिक सत्र के प्रथम दिवस से ही आर0टी0ई0 12(1)(ग) के अन्तर्गत प्रवेशित बच्चों का अध्ययन कार्य कराया जाये।

उपर्युक्त सम्बन्ध में आपसे अनुरोध है कि आर0टी0ई0 12(1)(ग) के प्रभावी कियान्वयन हेतु जनपद स्तर पर अंर्तविभागीय समन्वय स्थापित कराते हुए कार्ययोजना तैयार कराकर शैक्षिक सत्र 2025–26 में व्यापक प्रचार–प्रसार अभियान चलाने हेतु निम्नवत् बिन्दुओं पर कार्यवाही कराने का कष्ट करें:–

- जनपद स्तर पर यू–डायस के सापेक्ष शत–प्रतिशत गैर सहायतित मान्यता प्राप्त विद्यालयों की आर0टी0ई0 पोर्टल पर मैपिंग एवं पंजीकरण कराते हुए प्रवेश हेतु कक्षा 1 / पूर्व प्राथमिक कक्षा की कुल क्षमता के आधार पर जनपद का लक्ष्य निर्धारण कराया जायें।
- शैक्षिक सत्र 2025–26 के प्रचार प्रसार, आवेदनों के सत्यापन एवं विद्यालय आवंटन के पश्चात् शत–प्रतिशत नामांकन हेतु ब्लॉकवार नोडल अधिकारी नामित कराया जायें।

Note: This document is only for the knowledge and bonafide use of the Department of Basic Education, UP Government. Any sharing, publication or reproduction of this document in print or digital form or communication of its contents in any other form by any unconcerned person, body, institute or third party without prior information and approval of the competent authority will be illegal & void ab initio and appropriate action shall be taken against him in accordance with relevant rules & regulations.

- कार्यालय जिलाधिकारी, कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी, कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी, जिला चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं खण्ड शिक्षा अधिकारी पर आर0टी0ई0 की हेल्पडेस्क पर ऑनलाईन आवेदन करने में असमर्थ अभिभावकों का ऑनलाईन आवेदन कराना सुनिश्चित कराया जाये।
- आवेदन करने हेतु आवश्यक अभिलेख जैसे कि आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, दिव्यांग प्रमाण पत्र आदि बनाये जाने की प्रक्रिया को जनपद स्तर, तहसील स्तर एवं ब्लॉक स्तर पर सुगमता से किये जाने सम्बन्धी आवश्यक कार्यवाही की जायें एवं ऑनलाईन आवेदन के समय बच्चे के जन्म प्रमाण–पत्र एवं अभिभावक के आय प्रमाण–पत्र से सम्बन्धित समस्याओं को प्रथम वरीयता के आधार पर दूर किये जाने हेतु सम्बन्धित विभाग/एजेन्सी को निर्देशित किया जाये।
- जिला कार्यक्रम अधिकारी, बाल विकास परियोजना अधिकारी, खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा अपने–अपने क्षेत्र के आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को पम्पलेट उपलब्ध कराये जायें तथा ऐसे अभिभावक जिनके बच्चे आर0टी0ई0 के अन्तर्गत आच्छादित किये जा सकते हों, उनके आवेदन सम्बन्धी समस्याओं का निराकरण तत्काल कराया जाये।
- प्रत्येक विकास क्षेत्र में आर0टी0ई012(1)(ग) में प्रवेश हेतु उपलब्ध सीटों के आधार पर नामांकन के लिए बच्चों का लक्ष्य निर्धारित किया जाये तथा इस सम्बन्ध में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बाल विकास परियोजना अधिकारी एवं खण्ड शिक्षा अधिकारी के दायित्व निर्धारित किये जायें।
- प्रत्येक विकासखण्ड, जनपद के मुख्य चौराहो पर होडिंग्स लगायी जायें तथा पम्पलेट छपवाकर समाचार पत्रों व प्रचार वाहन के माध्यम से पम्पलेट वितरित किये जाये। प्रचार वाहन द्वारा योजना से सम्बन्धित जानकारी ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुँचायी जाए।
- प्रवेश हेतु विद्यालय आवंटन के पश्चात् नामांकन हेतु ब्लॉक स्तर से ए0आर0पी0 की टीम बनाकर आवेदनकर्ताओं से दूरभाष के माध्यम से वार्ता कर सूचना/जानकारी प्रदान करायी जाये एवं किसी प्रकार की समस्याओं की स्थिति में खण्ड शिक्षा अधिकारी/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय को इसकी सूचना उपलब्ध कराते हुए विद्यालयों में आवंटित बच्चों का शत–प्रतिशत प्रवेश कराया जाये।
- आर0टी0ई0 (1)(ग) में आवंटित शत–प्रतिशत बच्चों का दिनांक 31 मार्च, 2025 तक प्रवेश कराकर दिनांक 01 अप्रैल, 2025 से लाभान्वित समस्त बच्चों का कक्षाओं में नियमित रूप से अध्ययन सुनिश्चित कराया जाये।

कृपया उपर्युक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

भवदीया,

(कंचन वर्मा)
महानिदेशक,स्कूल शिक्षा

पृ0सं0 आर0टी0ई0/न0प्र0–02/ /2024–25 तद्दिनांक।
प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा, उ0प्र0।
2. शिक्षा निदेशक, (बेसिक), उ0प्र0, लखनऊ।
3. श्री परवेज इस्लाम, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 योजना भवन, लखनऊ।
4. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक, (बेसिक), समस्त मण्डल को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सतत् अनुश्रवण कर निर्धारित तिथि तक समस्त कार्यवाही पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।
5. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, समस्त जनपदों को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि योजना का व्यापक प्रचार–प्रसार कराकर अधिकाधिक अभिभावकों के पाल्यों के आवेदन कराने में सहयोग कराना सुनिश्चित करें।

(कंचन वर्मा)
महानिदेशक,स्कूल शिक्षा